

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक प.9(पी.आर.बी.)सम्पर्क/विविध/2014/18496-705

जयपुर, दिनांक 20/09/17

विषय:- राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष राशि की कटौति के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 12653-864 दिनांक 05.07.2017 के संबंध में।

राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष राशि की कटौति के संबंध में पत्र संख्या एफ.6 (1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2001 दिनांक 17.02.2010 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये अब ये पढ़ा जावे कि "सकल विज्ञापन राशि में से एक प्रतिशत राशि राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष के लिए देय है।"

18496-705
20/09/2017



(अरिजित बनर्जी)

शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
3. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करवाने हेतु प्रेषित है।
4. गृह प्रकोष्ठ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाए
7. मुख्य लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
8. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित है।
9. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा को भेज कर लेख है कि उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।
10. गार्ड फाईल।



संयुक्त शासन सचिव